

न्यूज डुडे

बढ़ते तापमान के कारण पूर्वी अंटार्कटिका में आइस शेल्फ (Ice Shelf) टूटकर अलग हुआ

○ पहली बार वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका में कॉंगर आइस शेल्फ (Conger Ice Shelf) को टूटते हुए अवलोकित (observe) किया है। यह अवलोकन व्यापक पैमाने पर सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के कारण संभव हो सका है।

➤ ऐसी घटनाएं बढ़ते तापमान के कारण घटित हो रही हैं। बढ़ते तापमान के कारण उत्तरी और दक्षिणी, दोनों ध्रुवों में औसत तापमान में वृद्धि देखी जा रही है।

○ साथ ही, एक नए शोध में यह उजागर किया गया है कि अंटार्कटिका वर्ष 2060 तक "क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट" के करीब पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर अंटार्कटिका का बर्फ तेजी से पिघलने लगेगा।

➤ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स: ये वे सीमाएँ हैं जहाँ से एक छोटा सा परिवर्तन भी पृथ्वी की प्रणाली को अकस्मात और अपरिवर्तनीय बदलाव की ओर धकेल सकता है।

➤ वैश्विक स्तर पर कुल 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स की पहचान की गई है। इनमें एक अंटार्कटिका हिमावरण (Ice Sheet) भी है।

○ अंटार्कटिका के बारे में:

➤ यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है।

■ अंटार्कटिका में पृथ्वी की कुल हिम की मात्रा का 90% मौजूद है।

■ यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे पानी का 70% हिस्सा मौजूद है।

➤ अंटार्कटिका, विश्व के पारितंत्र की संधारणीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक ऊष्मा का 62% और मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 40% भाग अवशोषित करता है।

➤ इसके अलावा, यहाँ खनिजों (तेल और गैस); समुद्री जीव (फिनफिश, क्रिल, स्विड); और स्थानिक जैव विविधता के जीनोमिक संसाधनों के समृद्ध स्रोत मौजूद हैं।

➤ अंटार्कटिका हिमावरण के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में 60 मीटर से अधिक की वृद्धि हो सकती है।

चिंताजनक स्थिति

साक्ष्यों के अनुसार, कई प्रणालियाँ टिपिंग पॉइंट्स बनने की ओर बढ़ रही हैं। पिछले एक दशक में इसकी गति और तीव्र हुई है। साथ ही, इसके दुरगामी प्रभावों (डोमिनो इफेक्ट) की बात कही गई है।



A. अमेज़न वर्षावन
बार-बार सूखा पड़ना

B. आर्कटिक हिमावरण
हिमावरण के क्षेत्र में कमी

C. अटलांटिक परिसंचरण
इसकी गति 1950 के दशक की तुलना में धीमी हुई है

D. बोरियल वन
वनानि की घटनाओं में वृद्धि और कीटों की प्रजातियों में बदलाव

E. प्रवाल भित्तियाँ
व्यापक पैमाने पर कमी

F. ग्रीनलैंड का हिमावरण
हिमावरण में तीव्र गति से हानि हो रही है

G. पर्माफ्रॉस्ट
पिघल रहा है

H. पश्चिम अंटार्कटिका हिमावरण
हिमावरण में तीव्र गति से हानि हो रही है

I. विल्व्स बेसिन
पूर्वी अंटार्कटिका में तीव्र गति से हिमावरण की हानि हो रही है

गृह मंत्रालय ने असम, नगालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों से "आर्म्ड फोर्सिज स्पेशल पॉवर्स एक्ट (AFSPA)" को हटा दिया है

○ इन राज्यों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह से कुछ क्षेत्रों से AFSPA को हटाया गया है।

➤ वर्ष 2014 से 2021 तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद की घटनाओं में 74% की कमी आई है। साथ ही, सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों की मृत्यु में भी क्रमशः 60% और 84% की कमी आई है।

➤ इसके अलावा, पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में सक्रिय विद्रोही समूहों के साथ कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें वर्ष 2020 का बोडो समझौता, वर्ष 2021 का कार्बी-आंगलोंग समझौता आदि शामिल हैं।

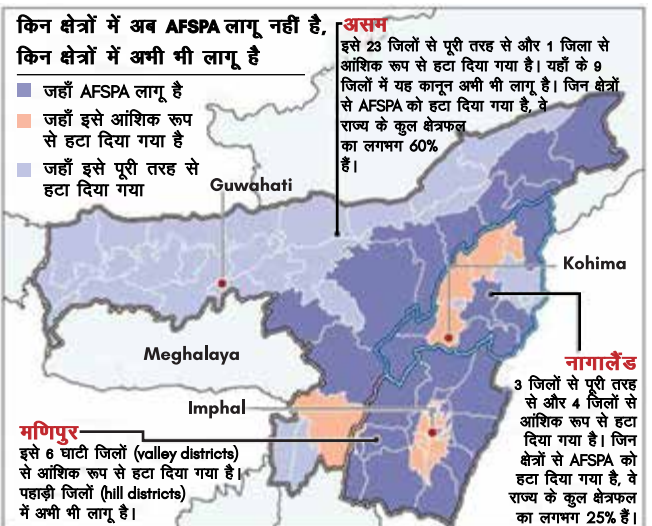
○ इस घोषणा के बाद, अब इन तीन राज्यों के कुछ हिस्सों में ही AFSPA लागू रहेगा। इसके अलावा अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा जम्मू और कश्मीर में AFSPA लागू है।

○ AFSPA के बारे में:

➤ यह कानून सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सिज को "अशांत क्षेत्रों" (disturbed areas) में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।

■ कई बार किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का पूरा हिस्सा या कोई हिस्सा हिंसा या उपद्रव के चलते ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है कि वहाँ सिविल प्रशासन चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, तब वहाँ AFSPA की घोषणा की जाती है। AFSPA अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत किसी राज्य या उसके क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया जाता है।

■ अशांत क्षेत्र की घोषणा राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।



नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने 'ड्रग रजिस्ट्री' से संबंधित परामर्श पत्र (Consultation Paper) पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं

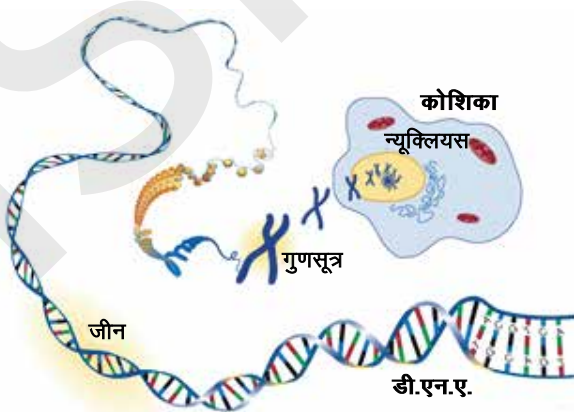
- ड्रग रजिस्ट्री की परिकल्पना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत की गई थी। यह रजिस्ट्री सभी दवाओं की एकल, अपडेटेड, और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रजिस्ट्री के रूप में होगी।
- ABDM को एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र का निर्माण करने के लिए आरंभ किया गया है। इस पारितंत्र का उद्देश्य कुशलतापूर्वक, सुलभ, समावेशी, किफायती, समयबद्ध और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) का समर्थन करना है।
 - रजिस्ट्री (Registry):** यह ABDM के आधारभूत खंडों में से एक है। यह अलग-अलग प्रकार के डेटा (स्वास्थ्य संबंधी फैसिलिटीज, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, आदि) का एक सुरक्षित भंडार है। इसके तहत उपयोगकर्ता स्वेच्छा से नामांकन कर सकते हैं।
- यह ड्रग रजिस्ट्री चिकित्सा की सभी पद्धतियों (एलोपैथी से लेकर आयुर्वेद तक) से संबंधित सभी दवाओं के केंद्रीकृत रिपॉजिटरी (या भंडार) के रूप में कार्य करेगी। इन दवाओं में भारतीय बाजार में मंजूरी प्राप्त और भारतीय बाजार में उपलब्ध दवाएं शामिल होंगी।
 - वर्तमान में, अलग-अलग प्राधिकरण या विभाग प्रोडक्ट के लाइफ साइकल के अलग-अलग चरणों के आधार पर डेटा एकत्र करते हैं। इसलिए बाजार में बेची जाने वाली दवाओं के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस का अभाव है।
- यह स्वास्थ्य देखभाल डेटा के मानकीकरण में मदद करेगा। इसके अन्य लाभों में शामिल हैं:
 - यह सभी दवाओं के लिए सत्यापित जानकारी की मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा,
 - यह सरलीकृत नियामक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगा,
 - यह सुचारु आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ा देगा,
 - यह इश्योरेंस क्लेम की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा,
 - यह क्लिनिकल निर्णयों, रोग प्रबंधन आदि में नवाचार को प्रोत्साहन देगा।

नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के बारे में

- यह आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना और ABDM को लागू करने के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय है।
- NHA का संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता वाले एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाता है।

वैज्ञानिकों ने आखिरकार संपूर्ण मानव जीनोम का अनुक्रमण कर लिया है

- हाल ही में प्रकाशित एक शोध में, एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने संपूर्ण मानव जीनोम का पहली बार अनुक्रमण (sequencing) करने का विवरण दिया है।
 - इससे पहले के प्रयासों में संपूर्ण मानव जीनोम का अनुक्रमण नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उस समय की डी.एन.ए. अनुक्रमण प्रौद्योगिकियां लगभग 8% जीनोम को पढ़ने में सक्षम नहीं थीं।
- जीनोम अनुक्रमण (Genome Sequencing): इसके तहत डी.एन.ए. अणु के भीतर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार (बेस) के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। डी.एन.ए. में 4 न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार (बेस) होते हैं। ये हैं— एडानीन (A), साइटोसीन (C), गुआनीन (G) और थायमीन (T)। इन चारों का क्रम किसी सजीव के डी.एन.ए. का निर्माण करता है।
 - किसी सजीव के डी.एन.ए. के संपूर्ण सेट को जीनोम कहते हैं। जीनोम में सभी गुणसूत्र (chromosomes) शामिल होते हैं। गुणसूत्र में डी.एन.ए. और जीन शामिल होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीन, डी.एन.ए. के विशिष्ट खंड होते हैं।
 - मानव जीनोम में लगभग 3 अरब क्षार युग्म (बेस पेयर्स) होते हैं। ये मानव के निर्माण और उसे इस रूप में बने रहने को निर्देशित करते हैं।
- जीनोम अनुक्रमण से लाभ या उपयोग:
 - यह मानव के विकास और उसकी बायोलॉजी के बारे में बेहतर समझ प्रदान करेगा।
 - यह दुर्लभ बीमारियों के लिए उत्तरदायी जीनोमिक कारणों की पहचान करने में सहायक हो सकता है। साथ ही, इससे एजिंग (बुढ़ापा), न्यूरोडीजेनेरेटिव दशाओं, कैंसर आदि क्षेत्रों में चिकित्सकीय उपायों को तलाशने में सहायता मिलेगी।
 - इससे जेनेटिक म्यूटेशन (यानी आनुवंशिक उत्परिवर्तन) की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, इससे वायरस के फैलने और विकास से संबंधित मौजूदा समझ में भी सुधार हो सकेगा।
- जीनोम अनुक्रमण के लिए की गई पहल:
 - इंडीजेन (IndiGen) कार्यक्रम:** यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित एक पहल है।
 - जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट:** यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है।
 - ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट:** यह एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयास था, जो वर्ष 2003 में संपन्न हो गया।

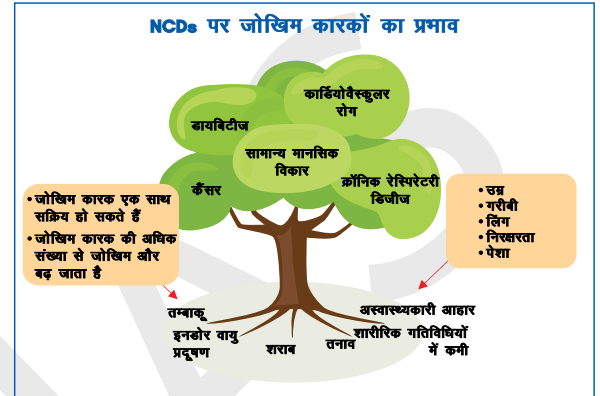
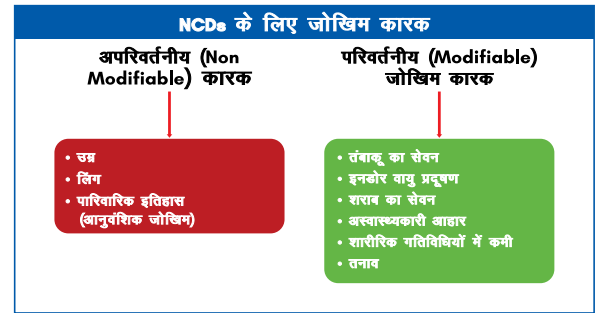


ONGC, भारत के 9वें हाइड्रोकार्बन बेसिन से उत्पादन की तैयारी कर रहा है

- ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC), विंध्य बेसिन का वाणिज्यीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बेसिन भारत के मध्य भाग में प्रोटेरोजोइक कल्प (Era) की एक अंतरमहाद्वीपीय (intercontinental) बेसिन है।
 - विंध्य बेसिन दक्षिण में सोन-नर्मदा ब्रंश घाटी, पश्चिम में ग्रेट बारंड्री फॉल्ट, पूर्व में मुंगेर-सहरसा कटक और उत्तर में बुंदेलखंड मैसिफ एवं सिंधु-गंगा के मैदान से घिरा हुआ है।
- यह भारत का नौवां और ONGC का आठवां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन होगा।
 - इससे पहले ONGC ने वर्ष 2020 में, बंगाल बेसिन में एक कुएं से तेल का उत्पादन शुरू कर, भारत का आठवां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन चालू किया था। भारत के अन्य हाइड्रोकार्बन बेसिन हैं: कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन, मुंबई अपतटीय बेसिन, असम शेलफ, राजस्थान बेसिन, कावेरी बेसिन, असम-अराकान फोल्ड बेल्ट और केम्बे बेसिन।
- हाइड्रोकार्बन, आमतौर पर अवसादी बेसिन (Sedimentary basins) में पाए जाते हैं। ये आग्नेय और कार्यांतरित चट्टानों वाली संरचनाओं में नहीं पाए जाते हैं।
 - अवसादी बेसिन:** ये विवर्तनिक गतिविधियों से निर्मित व पृथ्वी की भू-पर्पटी पर मौजूद अवतलित क्षेत्र (low areas) होते हैं।
 - इनका निर्माण जलीय निकायों में अपरदित पदार्थों के निक्षेपण (deposition) और रसायनों एवं कार्बनिक मलबे के जमाव की संयुक्त क्रिया द्वारा लाखों वर्षों में होता है।
- भारत में 26 अवसादी बेसिन हैं। ये 34 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें से 49% स्थल पर, 12% उथले जल में और 39% गहरे जल में स्थित हैं।

गैर-संचारी बिमारियों (Non-Communicable Disease: NCDs) से होने वाली मौतें, वैश्विक महामारी के पहले से ही बढ़ रही थीं

- वर्ष 2014-16 और वर्ष 2015-17 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015-17 में NCDs (जैसे- हृदय या श्वसन संबंधी रोग, आदि) के कारण सबसे अधिक लोगों की मौत हुई। इसी तरह के निष्कर्ष वर्ष 2014-16 में भी देखे गए थे।
 - वर्ष 2015-17 में अलग-अलग रोगों के कारण हुई मृत्यु में NCDs की हिस्सेदारी 52.8 प्रतिशत थी।
- NCDs को स्थायी बिमारियों या रोगों के रूप में भी जाना जाता है। इनसे रोगी लंबे समय तक बीमारी से पीड़ित रहते हैं। साथ ही, इनके इलाज में भी बहुत अधिक समय लगता है। ये बीमारियाँ मुख्य रूप से आनुवंशिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और व्यवहार संबंधी कारकों के कॉम्बिनेशन (संयोजन) का परिणाम होती हैं।
 - NCDs के मुख्य प्रकार हैं- कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और डायबिटीज।
 - कार्डियोवैस्कुलर डिजीज (हृदयवाहिका रोग), रेस्पिरेटरी डिजीज (श्वसन संबंधी रोग) और डायबिटीज (मधुमेह) से हर साल लगभग 40 लाख भारतीयों की मृत्यु होती है (वर्ष 2016)।
- NCDs को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय:
 - NCDs को रोकने के लिए एकीकृत "राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम" (National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke: NPCDCS) प्रारंभ किया है।
 - NCDs की रोकथाम और नियंत्रण के लिए "WHO ग्लोबल NCD एक्शन प्लान 2013-2020" आरंभ किया गया है। इस योजना के संदर्भ में, भारत पहला देश है जिसने विशिष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों और संकेतकों के साथ NCDs के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया है।
 - अन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आदि।
 - प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना से इनडोर वायु प्रदूषण में कमी करने में सहायता मिल रही है।



अन्य सुर्खियाँ

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022	- हाल ही में, राज्य सभा ने संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है। इसे झारखंड के भोगता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए पारित किया गया है। - संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गयी है कि वह किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को निर्धारित करे। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद आदेश जारी करता है। - इन आदेशों को बाद में केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है।
वन्नियार (Vanniyar)	- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें वन्नियारों को प्रदान किए गए 10.5 प्रतिशत आरक्षण को मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। - वन्नियार, तमिलनाडु के मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी (MBC) से संबंधित एक समुदाय है। - तमिलनाडु विधान सभा ने फरवरी 2021 में वन्नियारों हेतु सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आंतरिक आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया था।
समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (Maritime Rescue Co-ordination Centre: MRCC)	- भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के अंतर्गत एक अत्याधुनिक MRCC स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। - MRCC, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। ये केंद्र आपात स्थिति में शीघ्र कार्रवाई के उद्देश्य से समुद्री मार्गों की निगरानी करते हैं, जैसे - संकट में फंसे जहाजों और लोगों को बचाना तथा उनकी निकासी करना, तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण करना आदि। - इसके तहत प्रत्येक देश, स्वयं के खोज और बचाव क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। - MRCC को प्रत्येक देश में नौसेना या तटरक्षक बल द्वारा समन्वित किया जाता है। - भारत में, तटरक्षक बल MRCC की समन्वयक (co-ordinating) एजेंसी है।
कफाला सिस्टम (Kafala System)	- वर्ष 2022 में कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाले आयोजकों की प्रवासी श्रमिकों के साथ उनके व्यवहार को लेकर निंदा की जा रही है। - कतर सहित मिडिल ईस्ट के कई देश 'कफाला सिस्टम' का पालन करते हैं। कफाला, एक स्पॉन्सरशिप प्रणाली है, जो प्रवासी श्रमिकों और उनके स्थानीय प्रायोजक (स्पॉन्सर) या कफील के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। - इसके तहत, स्थानीय स्पॉन्सर को प्रवासी कामगारों के रोजगार और प्रवास की स्थिति पर लगभग पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। - उदाहरण के लिए- प्रवासी कामगारों को नौकरी छोड़ने या बदलने, मेजबान देश में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए स्पॉन्सर की अनुमति की आवश्यकता होती है। - इस प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से सस्ते श्रम की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। हालांकि, स्पॉन्सर कामगारों के मानवाधिकारों के हनन और उनके शोषण के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं।

 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का तेज़ और सुरक्षित ट्रांसमिशन (फ़ास्टर) (Fast and Secured Transmission of Electronic Records: FASTER)	○ हाल ही में, मुख्य न्यायाधीश ने 'फास्टर' (FASTER) नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह एक डिजिटल मंच है जिससे न्यायालय के अधिकारियों को न्यायिक आदेशों की ई-प्रतियों (e-copies) को तत्काल प्रसारित करने में मदद मिलेगी। ○ इस प्रणाली द्वारा अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों और कार्यवाही के रिकॉर्ड की ई-प्रमाणित प्रतियों को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से संबंधित पक्षों को भेजा जा सकेगा। इससे न्यायालय के आदेशों आदि का पालन और उनपर तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी। ○ इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर विकसित किया गया है। ध्यातव्य है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी जेल से कैदियों की देरी से रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किये थे।
 राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (National Bee Board: NBB)	○ NBB (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत) के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा "मधुमक्खी मोम (Bees wax) के उत्पादन" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ○ NBB के बारे में: ➢ NBB को वर्ष 2000 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठित किया गया था। इसे लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers' Agri-Business Consortium: SFAC) द्वारा प्रचारित किया गया। ➢ NBB को वर्ष 2006 में पुनर्गठित किया गया। ➢ उद्देश्य: ■ वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर मधुमक्खी पालन का समग्र विकास करना, ■ मधुमक्खी पालकों/किसानों की आय बढ़ाने के लिए शहद उत्पादन में वृद्धि करना। ○ मधुमक्खी मोम एक खाद्य श्रेणी का मोम है। ताजा निर्मित मोम सफेद रंग का होता है। बाद में प्रोपोलिस और पराग रंगों की उपस्थिति के कारण इसका रंग पीले रंग में बदल जाता है। ➢ विशेषताएं: उच्च ढलनशीलता (plasticity) होने के साथ-साथ यह अक्रिय होता है। इसके अलावा यह जल में अधुलनशील और कई अम्लों के लिए प्रतिरोधी, लेकिन अधिकांश कार्बनिक विलयन में घुलनशील होता है। ➢ इसका दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों के लिए एक फाउंडेशन और इमल्शन के रूप में, क्रोमेटोग्राफी, साबुन और इत्र आदि में सुगंध के रूप में उपयोग किया जाता है।
 सूरजमुखी (Sunflower)	○ सरकार देश में सूरजमुखी के कृषि क्षेत्र और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। ○ सूरजमुखी, समशीतोष्ण देशों में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। ➢ यह विश्व में वनस्पति तेल का प्रमुख स्रोत है। ➢ भारत सूरजमुखी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ➢ आवश्यक जलवायु: अंकुरण और अंकुर वृद्धि के दौरान ठंडी जलवायु, अंकुर अवस्था से फूल आने तक मेघ रहित गर्म मौसम, फूल आने से लेकर पकने तक धूप वाले दिन। ➢ यह गहरी, उदासीन और बेहतर अपवाहित बलुई मृदा/क्ले युक्त मृदा में भी अच्छी तरह उगता है। ➢ मृदा के पी.एच. मान 6.5-8.5 से बीच होना चाहिए। ➢ सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक राज्य- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु हैं।
 मदुरै मल्ली (जैस्मिन फ्लावर) (Madurai Malli (Jasmine flower))	○ तमिलनाडु के मदुरै मल्ली नामक फूल को GI टैग प्राप्त है। ○ मदुरै मल्ली अपनी तेज और रहस्यमयी रूप से आकर्षक खुशबू के लिए जाना जाता है। ○ अन्य विशेषताएं: मोटी पंखुड़ियां, लंबा डंठल और कलियों का देरी से खुलना आदि के कारण फूल लंबे समय तक ताजे और खुशबूदार बने रहते हैं। ○ मदुरै, मल्ली के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है। यह भारत की "जैस्मिन कैपिटल" के रूप में विकसित हुआ है।
 लिथियम-आयन बैटरी (Lithium-ion (Li-ion) batteries)	○ हाल ही में, लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी द्वारा संचालित दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं देखी गई हैं। ○ इलेक्ट्रिक कारों, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि में लिथियम-आयन बैटरी आज सबसे लोकप्रिय प्रकार की बैटरी हैं। ○ अन्य बैटरियों की तुलना में लिथियम-आयन बैटरी के लाभ: हल्का वजन, उच्च ऊर्जा घनत्व, रिचार्ज करने की क्षमता, लेड-एसिड बैटरी की तुलना में लंबी उपयोग अवधि, अधिक दक्षता आदि।
 चिल्का झील (Chilika lake)	○ चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ○ ओडिशा के पूर्वी तट में स्थित चिल्का झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ा तटीय लैगून है। ➢ इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है। ○ इरावदी डॉल्फिन, तटीय डॉल्फिन हैं जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में पाई जाती हैं। ➢ इरावदी डॉल्फिन की मुख्य आबादी कंबोडिया, इंडोनेशिया और म्यांमार की तीन नदियों क्रमशः मेकांग, महकम और अय्यरवादी में पायी जाती है। ➢ IUCN स्थिति: एंडेंजर्ड
 सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास	○ लामितिये 2022 (LAMITIYE 2022): यह इंडियन आर्मी और सेशेल्स डिफेंस फोर्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ○ वरुण: यह भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है।